(सत्यप्रतिलिपि)

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी, जिला धमतरी

(आदेश दिनांक 29/10/2020)

ज.या.क. 244/2020

महेन्द्र देवांगन पिता स्व. परमानंद देवांगन,

उम्र 28 वर्ष,

निवासी शीतलापारा हटकेशर वार्ड धमतरी,

तहसील व जिला धमतरी छ.ग. .....आवेदक/अभियुक्त

–विरूद्ध–

छ.ग. शासन, ...अभियोजन

29-10-2020

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क. 55/विविध/दो–14–01/2020 बिलासपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विविध आदेशानुसार एवं श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी के अवकाश पर होने से यह प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/आरोपी द्वारा श्री बी.के.सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री.एस.के.रंगारी, अपर लोक अभियोजक।

प्रकरण केस डायरी एवं जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है। संबंधित आरक्षी केन्द्र से केस डायरी प्राप्त।

जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 पर उभयपक्षों का तर्क श्रवण किया गया। आवेदन के अनुसार आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि थाना सिटी कोतवाली धमतरी के अपराध क्रमांक 474/2020, धारा 376 भा.दं.वि. के अपराध में आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19.10.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होना चाहता है तथा न्यायालय के आदेशानुसार सक्षम जमानतदार पेश करने को सहर्ष तैयार है

तथा रिहा होने के पश्चात् समस्त आदेशों व शर्तों का पालन करने को तैयार है। यह उसका प्रथम जमानत आवेदन है, इसके पूर्व में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा माननीय सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही पूर्व में निराकृत किया गया है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ देकर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन/शासन की ओर से मौखिक रूप से जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया है कि अभियुक्त द्वारा प्रार्थिया के साथ उसकी सम्मति के बिना विवाह करने का प्रलोभन देकर बलात्संग किया गया है। आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि की धारा 376 के तहत् अपराध कारित किया गया है जो कि गंभीर प्रकृति की है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

आरोपी की ओर से जमानत आवेदन के समर्थन में अपनी बहन हिमानी देवांगन का शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसके अनुसार आवेदक की ओर से पेश जमानत आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है। थाना सिटी कोतवाली धमतरी की केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रार्थिया कु. कोमिन साहू की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी द्वारा अपराध क्रमांक 474/2020, धारा 376 भा.दं.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त पर भा.दं.वि. की धारा 376 के तहत् आरोप है कि दिनांक 23.01.2020 से लगातार 30.08.2020 तक हटकेशर वार्ड धमतरी, आरोपी के मकान में शादी का प्रलोभन देकर उसकी सम्मति के बिना बलात्संग किया गया। आरोपी के द्वारा किया गया उक्त कृत्य गंभीर प्रकृति की है। आरोपी को ओर से न्याय दृष्टांत 2011 (4) सी.जी.एल.जे. 582 हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ, बिलासपुर महेन्द्र कुमार साहू विरूद्ध छ.ग.राज्य, 2008 (3) सी. जी.एल.जे. 509 हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ, बिलासपुर साहनी राम साहू विरूद्ध छ.ग.राज्य, 2015 (2) सी.जी.एल.जे. 291 हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ, बिलासपुर सुरेश कुमार गुप्ता विरूद्ध म.प्र.राज्य पेश किया गया है जो वर्तमान प्रकरण के

तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न है, जिसका लाभ आवेदक/आरोपी को प्राप्त नहीं होता। विवेचना अपूर्ण है, जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने पर गवाहों को प्रभावित किये जाने की संभावना है। आरोपी के द्वारा 21 वर्षीय लड़की के साथ शादी का प्रलोभन देकर बलात्संग किया गया है। अतः प्रकरण की उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने की केस डायरी वापस किया जावे।

जमानत प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार भेजी जावे।

सही/–
{ग्रेगोरी तिर्की}
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ0ग0)

<u>प्रतिलिपि–</u>

1. आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने की केस डायरी वापस की जावे।
2. लोक अभियोजक, धमतरी जिला धमतरी छ.ग. को सूचनार्थ प्रेषित।

{ग्रेगोरी तिर्की}
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ0ग0)